**FORM III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम – 26)**

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)**

**लाडादेवी बनाम भूमिधारी**

**किस्म मुकदमा** प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी **मु०नं० 379 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/722**

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07-07-2025 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>**राजवीर सिंह यादव**<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**नीमकाथाना (सीकर)** | |
| | पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 01/9/25 को पेश हों। | |
| 01/9/25 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 8/10/25 को पेश हो। | |
| 08/10/2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।<br>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त सीमाज्ञान में प्रार्थी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:38:37 IST
Reason: SelfAttested

की वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर दीगर व्यक्ति का कब्जा होना बताया हैं। अतः प्रार्थी को दीगर व्यक्ति से कब्जेशुदा भूमि को मुक्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में बेदखली का वादपत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत देते हुए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10. 2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:38:37 IST
Reason: SelfAttested